न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/216

मिसल नम्बर– 68/2024

1.दुर्गाप्रसाद पुत्र श्री मदन लाल उम्र 73 वर्ष
2.श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद उम्र 68 वर्ष निवासीगण गिर्राज प्रसाद गौतम का मकान सत्य निकेतन स्कूल के पास सकतपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.श्रीमती दीपमाला सोनी पत्नी स्व. हेमंत कुमार सोनी, अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय जालोदा तह0 के0 पाटन जिला बूंदी
2.मनोज सोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद सोनी निवासी मालव बैग्स के उपर, लालबुर्ज कैथूनीपोल कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री ब्रजनारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री अनिल मुदगल अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1
3.श्री मोहम्मद अशरफ अंसारी अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का पुत्र हेमन्त मेडिकल दवा कंपनी में एक रेपुटेटेड एम0आर0 का कार्य करता रहा है जो कि सन 1998 से उक्त कार्य प्रारम्भ करते हुये अपना व अपने माता–पिता का भरण–पोषण करता आ रहा था एवं पुत्र हेमंत को प्रार्थीगण द्वारा दिलवायी गई शिक्षा दीक्षा के परिणामस्वरुप ही बह उक्त एम0आर0 का कार्य कर रहा था। प्रार्थीगण ने अपने व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण आय को अपने बड़े पुत्र हेमन्त की पढ़ाई पर खर्च करते हुये उसे शिक्षित बनाकर दवा कंपनी में सन् 1998 में जोब प्रारम्भ करते हुये भिन्न–भिन्न कंपनीयों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हुये अच्छी आमदनी का स्तर मेनटेन करने लगा था और पुत्र हेमन्त की शिक्षा व अच्छी आय को देखते हुये ही प्रतिपक्षी क्रम 1 व उसके माता–पिता ने हेमन्त के साथ प्रतिपक्षी क्रम 1 का विवाह माह फरवरी 2010 में संपन्न करवाया विवाहोपरांत प्रतिपक्षी क्रम 1 के कोई संतान हेमन्त से उत्पन्न नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थीगण की हेमन्त व प्रतिपक्षी क्रम

उपखण्ड अधिकारी
को.

1 द्वारा समस्त देखभाल की जाकर पारिवारिक जीवन सुखमय चल रहा था तभी अचानक दिनांक 21/09/2015 को प्रार्थीगण के पुत्र व प्रतिपक्षी क्रम 1 के पति हेमन्त की मृत्यु होने से प्रार्थीगण का जीवन इस वृद्धावस्था से संकटपूर्ण बन गया। लेकिन उक्त समय पर भी प्रतिपक्षी क्रम 1 ने ही प्रार्थीगण को हिम्मत देकर पुत्र के स्थान की कमी नहीं अखरने दी तथा प्रार्थीगण को आश्वस्त किया कि वह हमेशा ही पुत्री बनकर सेवा करती रहेगी। प्रतिपक्षी क्रम 1 से प्रार्थीगण के पुत्र का विवाह होने के पश्चात ही प्रतिपक्षी क्रम 2 की शिक्षा प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से हेमन्त के समान नहीं हो सकी तथा वह उसके बेरोजगार होने के दौरान ही विवाह हो जाने व आय का कोई साधन नहीं होने से आये दिन घर में तनाव होने लगा तब प्रतिपक्षी क्रम 2 हमेशा ही कहता कि उसकी शिक्षा पर हेमन्त से आधा खर्चा भी यदि प्रार्थीगण करते तो वह बेरोजगार नहीं रहता इस प्रकार के तनाव के चलते ही हेमन्त के जीवन काल में ही प्रतिपक्षी क्रम 2 प्रार्थीगण से अलग होकर निवास करने लगा जिसके द्वारा आज तक कभी भी प्रार्थीगण की कोई सेवा अथवा सहायता नहीं की है। प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा उसके पति हेमन्त की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण को दिये गये प्यार सेवा व अपनत्व के कारण ही प्रार्थीगण ने अपनी वृद्धावस्था की जमा पूँजी (जेवर) इत्यादि बेचकर व कर्जा लेकर प्रतिपक्षी क्रम 1 की कम्पीटिशन की तैयारी करवाई तथा इसी मेहनत के परिणामस्वरुप ही प्रतिपक्षी सरकारी अध्यापिका फर्स्ट ग्रेड में नियुक्ति सन् 2018 में ही पदस्थापित हो सकी। लेकिन उक्त नियुक्ति के 6 माह बाद ही प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थीगण को उनकी वृद्धावस्था व बीमारी में छोड़कर अन्य किराये के मकान में निवास करने लगी है और प्रार्थीगण से समस्त संबंध खत्म करते हुये उन्हें अकेला कर दिया। प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही किराये के मकान में रहकर किराये की दुकान में अपना व्यवसाय कर स्वयं अपना व परिवार का पालन– पोषण सीमित आय से करते रहे हैं तथा उक्त आय से ही पुत्र हेमन्त की अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाने से ही कभी प्रार्थीगण अपना स्वयं का मकान नहीं बना सके और ना ही अपने छोटे पुत्र प्रतिपक्षी क्रम–2 की शिक्षा ही ठीक से करवा सके। प्रतिपक्षी क्रम 2 की शिक्षा के अभाव में ही वह बेरोजगार ही रहा तथा इसी अवस्था में ही घर से हेमन्त के जीवन काल में ही अलग निदास करने लगा व हेमन्त की मृत्यु के पश्चात भी प्रतिपक्षी क्रम 2 ने कभी प्रार्थीगण को नहीं संभाला और ना ही कोई सहायता ही की है। वरन् हमेशा ही स्वयं की आर्थिक तंगी का बहाना करना व इसके लिये उसकी शिक्षा की कमी होना बताता रहा है। तथापि प्रार्थीगण ही वृद्धावस्था में स्वयं के जीवन निर्वहन हेतु भरण–पोषण व अन्य आवश्यक खर्चो, सहयोग प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 से प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं। प्रार्थी क्रम 1 की वृद्धावस्था में सोने चाँदी की कारीगरी का कार्य नहीं होने से उसकी आय लगभग समाप्त हो चुकी है तथा उक्त दुकान का किराया भी बमुश्किल से निकल पाता है। फिर भी प्रार्थी अपने जीवन के अंतिम समय (वृद्धावस्था) में स्वयं की दिनचर्या को व्यवस्थित रखने हेतु उक्त दुकान को किराये पर ले रखा है। ताकि रोजाना अपनी दिनचर्या में व्यस्त होकर वृद्धावस्था का समय काटता रहे। इसी प्रकार प्रार्थीगण के द्वारा सीमित आय से बड़े पुत्र हेमन्त को शिक्षा दीक्षा दिलाने व समस्त परिवार के पालन–पोषण में ही खर्चा होने से स्वयं का मकान नहीं बना पाये और किराये के मकान में ही संपूर्ण जीवन गुजारता रहा है और इस अवस्था में मकान व दुकान का किराया अदा करने के साथ स्वयं प्रार्थीगण के जीवन पालन हेतु भरण–पोषण व बीमारी के खर्चे हेतु प्रतिमाह एक निश्चित राशि 40000/–रू की सख्त आवश्यकता होने से प्रतिपक्षीगण से प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी होने से उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

के समक्ष प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण सिनियर सिटीजन को विपक्षी से भरण–पोषण राशि 40,000/– प्रतिमाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के दिनांक से दिलवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीया क्रम 1 के पति की मृत्यु पश्चात् अप्रार्थीया क्रम 1 प्रार्थीगण व उसके परिवारजन द्वारा मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित करते हुए घर से बाहर निकाल दिया, अप्रार्थीया क्रम–1 द्वारा स्वयं अपने स्तर पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग मे नोकरी प्राप्त की गई है, जिसमे प्रार्थीगण का किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं रहा है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया क्रम 1 को कभी भी अपनी पुत्रवधु स्वीकार नहीं किया गया है, अब केवल मात्र अप्रार्थीया क्रम 1 से भरण पोषण के नाम पर प्रार्थीगण राशि प्राप्त करना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण की आर्थिक स्थित समृद्ध व सम्पन्न है। प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व सम्पन्न होने के कारण उसके किसी भी प्रकार से भरण पोषण की राशि की आवश्यकता नहीं है तथा अप्रार्थीया क्रम 1 से प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सिनियर सिटीजन को भरण पोषण दिये जाने अन्तर्गत धारा 5 सिनियर सिटीजन एक्ट 2007 को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी का पति हेमन्त मेडिकल दवा कम्पनी मे एम.आर. के पद पर कार्यरत था, वर्ष 2010 में प्रतिपक्षी क्रम–1 का विवाह प्रार्थीगण के पत्र हेमन्त सोनी के साथ सम्पन्न हुआ। शादी के बाद से ही प्रतिपक्षी क्रम 1 के हेमन्त सोनी से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई वर्तमान में प्रतिपक्षी निसन्तान है। प्रतिपक्षी क्रम–1 का जीवन शादी के बाद से ही सुखमय चल रहा था, लेकिन प्रतिपक्षी क्रम 1 के शादी के बाद मे कोई सन्तान नहीं होने के कारण प्रार्थीगण उसे ताने मारते और बाझ कहकर बुलाते थे और उसके साथ अनुचित व्यवहार करते थे। यह सिलसिला कई सालो तक चलता रहा, घर में तनाव रहने से प्रतिपक्षी क्रम–1 के पति हेमन्त को बीमारी होने से दिनांक 21.09.2015 को अचानक स्वर्गवास हो गया। प्रार्थीगण ने अपने पुत्र हेमन्त की मृत्यु के पश्चात् उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए यह कहां कि तुम हमारी बेटी हो हम तुम्हे नहीं छोडेगें तुम हमारे साथ यही रहोगी, लेकिन प्रार्थीगण ने कुछ महिनो तक ही प्रतिपक्षी क्रम–1 के साथ सहानुभूति दिखलाई, इसके पश्चात प्रतिपक्षी क्रम–1 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। इससे तंग आकर प्रतिपक्षी क्रम–1 अपने माता पिता के घर आ गई, प्रतिपक्षी क्रम 1 शिक्षित थी, इसलिये वह अपने पेरो पर खड़ा होकर स्वाभीमान की जिन्दगी जीना चाहती थी इसलिए उसने कोचिंग लेकर शिक्षिका की नौकरी की तैयारी की और वर्ष 2018 में फर्स्ट ग्रेड की टीचर पर नियुक्ति हुयी। प्रतिपक्षी क्रम 1 के पास प्रार्थीगण का कोई भी वारिसान नहीं है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ने अपने पति हेमन्त सोनी का चल अचल सम्पत्ति का हिस्सा प्रार्थीगण के पास छोड रखा है । प्रार्थीगण स्वयं कमाने मे सक्षम है वह स्वयं वर्तमान मे सोने चांदी का काम करता है, जिससे उसे 60,000/–रूपये तक मासिक आय होती है, प्रार्थीगण अभी भी प्रतिपक्षी

उपखण्ड अधिकारी

क्रम 2 के साथ निवास करता है जो कि दोनो की मिलिभगत से और प्रतिपक्षी क्रम 1 से पैसा ऐठने की वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण का पुत्र हेमन्त किसी रेपूटेड दवा कम्पनी मे कार्य नहीं करके एक साधारण कम्पनी मे साधारण एमआर का कार्य करता था, जो कि वर्ष 1998 से प्रार्थीगण द्वारा करना बताया गया है प्रार्थी ने 1998 से अपने पुत्र का एमआर के पद पर कार्य करना बताया है अतः प्रार्थी ने 1998 से वर्ष 2010 तक अपने पुत्र से अपने भरण पोषण का पैसा प्राप्त किया अर्थात 12 वर्षों तक हेमन्त सोनी ने अपनी सम्पूर्ण आय अपने पिता को दी, वर्ष 2010 में प्रार्थी ने अपने पुत्र हेमन्त सोनी का विवाह दीपमाला सोनी के साथ सम्पन्न किया। प्रार्थी ने अपने पुत्र हेमन्त सोनी की शादी के कुछ वर्षों तक अपने भरण पोषण के लिये रकम प्राप्त करता रहा, लेकिन फिर कुछ दिनो वाद प्रार्थी के पुत्र ने भरण पोषण की रकम देने से मना कर दिया तो प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करना प्रारम्भ कर दिया जिससे घर मे तनाब रहनें लगा इससे प्रार्थी का पुत्र हेमन्त सोनी शराब का सेवन करने लगा जिससे उसका लीवर खराब हो गया और प्रार्थी का पुत्र हेमन्त सोनी काम पर नहीं जा सकता था और वह पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गया। प्रतिपक्षी ने अपने पति हेमन्त सोनी के ईलाज के लिये प्रार्थी से पैसे मांगे तो प्रार्थी ने प्रतिपक्षी को ईलाज करवाने से मना कर दिया, जैसे तैसे करके प्रतिपक्षी ने अपने पति का ईलाज करवाया, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकी और दिनांक 31.09.2015 को प्रतिपक्षी के पति व प्रार्थी के पुत्र हेमन्त सोनी की मृत्यु हो गई। प्रतिपक्षी क्रम–1 ने अपने पति हेमन्त सोनी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण का पूरा ध्यान रखा वह प्राईवेट कोचिंग करती और प्रार्थीगण को पैसा देती थी, लेकिन प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी क्रम 1 को नाजायज मानसिक तौर पर प्रताडित किया उसे ताने मारते कि तुने हमारे पुत्र हेमन्त को मार दिया, जिससे प्रतिपक्षी क्रम–1 डिप्रेशन मे आ गई और बडी मुश्किल से प्रतिपक्षी क्रम–1 को ईलाज करवा कर उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला गया। प्रतिपक्षी क्रम–1 को प्रार्थीगण द्वारा मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित किया गया उसे ससुराल से निकाल दिया गया और वर्ष 2016 में प्रतिपक्षी अलग अपने माता पिता के पास जाकर रहने लगी वही से उसने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अपने स्तर पर की उसने पूर्व मे भी शादी के पश्चात 2013 में अपने गहने बैक में गिरवी रखकर अपनी नौकरी की तैयारी की। वर्ष 2018 में प्रतिपक्षी क्रम 1 की नौकरी फर्स्ट ग्रेड टीचर के तौर पर राज्य सरकार के अधीन लग गई थी, प्रतिपक्षी क्रम 1 ने अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी से यह नौकरी प्राप्त की है यह नौकरी किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की अनुकम्पा नियमो के तहत प्राप्त नहीं की है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की है। प्रतिपक्षी क्रम 1 अपने पति हेमन्त सोनी की मृत्यु के पश्चात किसी भी प्रकार से अपने पति की सम्पत्ति मे से हिस्सेदारी आज तक नहीं ली है और ना ही किसी प्रकार का दावा किया है अर्थात प्रतिपक्षी क्रम–1 ने अपने पति की सम्पूर्ण प्रोपट्री का हिस्सा प्रार्थी को छोड़ दिया है। अतः प्रतिपक्षी क्रम–1 किसी भी प्रकार से भरण पोषण देने के लिये बाध्य नहीं है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति मजबूत है प्रार्थी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह सोने चांदी की दुकान रामपुरा कोटा मे कई वर्षा से चला रहा है और इससे उसको अच्छी मासिक आमदनी करीब 60 से 70 रूपये प्राप्त होती है जो कि प्रार्थीगण के लिये पर्याप्त है। प्रार्थी एक चतुर व्यक्ति है उसकी नीयत प्रतिपक्षी क्रम 1 की आमदनी पर है जो कि कानूनन उचित नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से कथन किया है कि वर्ष 2018 में प्रतिपक्षी क्रम 1 की

उपखण्ड अधिकारी

नौकरी फर्स्ट ग्रेड टीचर के तौर पर राज्य सरकार के अधीन लग गई थी, प्रतिपक्षी क्रम 1 ने अपनी मेहनत, लगन व ईमानदारी से यह नौकरी प्राप्त की है यह नौकरी किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की अनुकम्पा नियमो के तहत प्राप्त नहीं की है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त की है। प्रार्थीगण स्वयं कमाने मे सक्षम है वह स्वयं वर्तमान मे सोने चांदी का काम करता है, जिससे उसे 60,000/–रूपये तक मासिक आय होती है, प्रार्थीगण अभी भी प्रतिपक्षी क्रम 2 के साथ निवास करता है जो कि दोनो की मिलिभगत से और प्रतिपक्षी क्रम 1 से पैसा ऐठने की वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी नं0 1 के उक्त कथनों का प्रार्थीगण की ओर से बलपूर्वक विरोध नही किया है। वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की धारा 2(क) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि **"बालक से अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री है।"** प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं0 1 के रूप में अपनी पुत्रवधु को पक्षकार बनाया हुआ है एवं मुख्य रूप से अप्रार्थी नं0 1 से भरण पोषण की मांग की है। कानूनन वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत पुत्रवधु से भरण पोषण राशि दिलाये जाने का प्रावधान नही है। जिस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। न्यायहित में अप्रार्थी नं0 2 को पाबंद किया जाता है कि अपने माता पिता की सेवा सुश्रुषा एवं आवश्यकतानुसार भरण पोषण की व्यवस्था करेगें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ....28/2/25.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा